# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

| अपील संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/47/2017 | 2017/00069 | 25.04.2017 | 18.10.2021 |

01–हुकम पुत्र सेढूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम चोरोटी पहाड़ तहसील रामगढ़।

–अपीलांट

**बनाम**

01– राज0सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर।

–रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ दिनांक 17.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 235/2017

**उपस्थितः–**

01–श्री मुकेश कुमार शर्मा –वकील अपीलाण्ट

## निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 17.03.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम चोरोटी पहाड़ की सरकारी भूमि गैर मुमकिन पहाड़ के आ.ख.नं. 1139 रकबा 3.69 है0में से 0.01 है0 पर कब्जा कर ईट का मकान आदि बनाकर अतिक्रमण कर लिये जाने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किये जाने तथा दण्ड स्वरूप लगान 0.24 का 50 गुना पेनल्टी/– तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा खसरा नम्बर 1139 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही आज है। प्रश्नगत आराजी पर से अपीलांट ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है इस बाबत अपीलांट ने पचास रूपये के नोन ज्यूडिशिएल स्टाम्प पेपर पर अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट का वर्तमान में विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है । अतः अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.03.2017 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार रामगढ से विवादित आराजी के अतिक्रमण की वर्तमान रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रामगढ ने अपनी मौंका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/17/1864 दिनांक 12.05.2017 में अंकित किया है कि **"मौंके पर आराजी खसरा नम्बर 1139 रकबा 3.**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

69 है0 गैर मुमकिन पहाड़ में से 0.01 है0 पर हुकम पुत्र सेढूराम ने ईंट का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। तहसीलदार रामगढ ने उक्त मौंका रिपोर्ट दिनांक 04.05.2017 को न्यायालय में प्रेषित की है तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 15.07.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा विवादित रकबे से अतिक्रमण हटा लिया है एवं उस स्थान पर सरकारी विधालय का कमरा बना हुआ है। प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त एंव न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस शर्त पर अपास्त किया जाना उचित समझते है कि तहसीलदार रामगढ अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुनः जांच करे यदि अतिक्रमी का प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण पाया जाता है तो पूर्व आदेश दिनांक 17.03.2017 यथावत रहेगा। यदि अतिक्रमी का प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो 03 माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपास्त किया जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 17.03.2017 में 03 माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमी का अतिक्रमण नहीं पाये जाने की स्थिति में अपास्त किया जाता है। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 17.03.2017 यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार)<br>
अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 18.10..2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>
(प्रथम) अलवर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)<br>
अलवर (राज०)